भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1265
उत्तर देने की तारीख : 30.07.2024

दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय विद्यालय की स्थापना

1265. **डॉ. नामदेव किरसान:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्यों में मूक-बधिर बच्चों सहित शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय विद्यालय स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त उद्देश्य के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का, एजेंसी/संगठन और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान स्थापित ऐसे विद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त योजनाओं की समीक्षा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ङ) क्या इस संबंध में कोई कमियां पाई गई हैं; और

(च) यदि हां, तो ऐसी कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल.वर्मा)

(क) से (च): जी, नहीं। तथापि, विभाग अपने राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से विशिष्ट दिव्यांगताओं के लिए मॉडल स्कूल का संचालन करता है तथा विगत 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त संस्थानों द्वारा उपयोग की गई निधियों की राशि निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	एनआई का नाम	व्यय की गई राशि (लाख रुपये में)			
		2021-22	2022-23	2023-24	2023-24 (30.06.2024 तक)
1	पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली	0.47	0.27	0.00*	0.00*
2	राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून	249.50	338.90	480.60	127.88
3	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद	301.46	306.07	381.49	129.48
4	राष्ट्रीय बहु-दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई	128.99	141.35	185.41	33.24

*31.03.2023 से एकीकृत प्राथमिक स्कूल को चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया है।

*****